[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 02/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 02 मई, 2022

विषयः अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत प्रावधानों की छूट को आगे बढ़ाना।

सा. आ. (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना सं. 23/2015–20 दिनांक 03.09.2021, अधिसूचना सं. 26/2015–20 दिनांक 13.09.2021, अधिसूचना सं. 32/2015–20 दिनांक 25.09.2021 और अधिसूचना सं. 36/2015–20 दिनांक 08.10.2021 के साथ पठित डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 को निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

i. 5.5 लाख मीट्रिक टन की शेष मात्रा के आयात हेतु आयात की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2022 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो आगे बढ़ाया जाता है। दिनांक 30 सितंबर 2022 को अथवा इससे पहले की तारीख का लदान–बिल अथवा 'लॉरी रसीद' के लिए दी गई खेपों के आयात हेतु विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर 2022 को अथवा इससे पहले "आऊट ऑफ चार्ज" प्राधिकृत किया जा सकता है।

ii. यह दोहराया जाता है कि आयात पूर्व में अधिसूचित केवल 8 पत्तनों अर्थात न्हावा सेवा पत्तन (आईएनएनएसए1), एलसीएस पेट्रापोल (आईएनपीटीपीबी), मुम्बई समुद्री पत्तन (आईएनबीओएम1), तूतीकोरिन समुद्री पत्तन (आईएनटीयूटी1), विशाखापटनम समुद्री पत्तन (आईएनवीटीजेड1), घोजाडांगा एलसीएस (आईएनजीजे एक्स बी), कोलकाता (आईएनसीसीयू1) और राणाघाट रेलवे स्टेशन (आईएनआरएनजी2) के माध्यम से अनुमत किया जाता है।

iii. पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचएंडडी) द्वारा आयात मात्रा की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि 5.50 लाख मीट्रिक टन की अधिदेशित मात्रा का उल्लंघन न हो।

2. अधिसूचना सूचना का प्रभावः

अधिसूचना सं. 20/2015–20 दिनांक 24.08.2021 के अंतर्गत आयात प्रावधानों की छूट को 5.50 लाख मीट्रिक टन की शेष मात्रा के आयात के लिए दिनांक 30.09.2022 अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अनुमत किया जाता है। ऐसी आयात खेप के लदान का बिल 30.09.2022 को या उससे पहले का होना चाहिए और ऐसी खेपों के 'आऊट ऑफ चार्ज' को 31 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले सीमा शुल्क विभाग द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
2.5.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/पार्ट VI/ई-9019 से जारी)